



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 371]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

का.आ. 402(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल, परिवहन, मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यां का.आ. 660(अ), तारीख 27 सितम्बर, 1996; का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999; और का.आ. 239(अ) तारीख 24 मार्च, 1998; द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 3.400 कि.मी.-75.000 कि.मी. (विजयवाड़ा-इलुरु सेक्शन), 75.000 कि.मी.-395.870 कि.मी. (विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम सेक्शन) और 354.775 कि.मी. से 434.150 कि.मी. (चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा सेक्शन) तक के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क - सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना) नियम, 1997, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 7, राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियम, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा आन्ध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर 3.400 कि.मी. से 42.500 कि.मी. (नया चैनेज 1100.694 कि.मी. से 1061.594 कि.मी.) और 42.500 कि.मी. से 81.600 कि.मी. (नया चैनेज 1061.594 कि.मी. से 1022.494 कि.मी.) तक के खण्ड हेतु का.आ. संख्या 2170 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 2012 द्वारा उक्त खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था ;

और, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में मेसर्स विजयवाड़ा गुंडुगोलानू रोड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो 24 जनवरी 2012 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय, दूसरा तल, सेन्ट्रिक प्लाजा, प्लॉट नम्बर 8, पाकेट 4, सेक्टर 11, द्वारका, नई दिल्ली - 110075, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् “रियायतग्राही” संदर्भित किया गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर आन्ध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 27.600 कि.मी. से 81.600 कि.मी. (नया चैनेज 1076.80 कि.मी. - 1022.80 कि.मी.) तक विजयवाड़ा - गुंडुगोलानू सेक्शन का छह लेन में विकास करने हेतु, जिसमें 27.600 कि.मी. (नया चैनेज 1076.80 कि.मी.) से प्रारम्भ करके और 422.800 कि.मी. (नया चैनेज 1112.044 कि.मी.) पर समाप्ति करते हुए छह लेन का हनुमान जंक्शन बाइपास तथा चार लेन का विजयवाड़ा बाइपास शामिल है और उसके प्रचालन और अनुक्षण के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ उक्त खण्ड ” संदर्भित किया गया है) एक करार किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी 2011 तथा सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर 2011 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 2170 (अ), तारीख 12 सितम्बर 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हों अथवा करने से लोप करा दी गई हों, उक्त खंड के निर्माण, अनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु चार या अधिक लेन के उपयोग पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आधार दर” संदर्भित किया गया है) और 10 करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले बाइपासों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में निर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65

हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.य) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति एकतरफा यात्रा रुपये में)

स्थायी पुल, बाइपास या सुरंग की लागत(करोड़ रु. में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस (दो धुरी वाले)	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	एचसीएम, इएमइ या एमएवी (चार से छह धुरी वाले)	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रुपये से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6
एक सौ करोड़ रुपये से अधिक और दो सौ करोड़ रुपये तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए,	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
दो सौ करोड़ से अधिक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए,	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

टिप्पणी :-

- नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर , ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध्य और संदेय होगा :

(क) निर्माण अवधि के दौरान

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान - विद्यमान (डिजाईन) चैनेज	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
31.850 कि.मी., (नया चैनेज 1072.230 कि.मी.) आन्ध्रप्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में , पाटीपाडु गांव के पास	39.100 कि.मी.
53.300 कि.मी. (नया चैनेज 1050.78 कि.मी.) पश्चिमी गोदावरी जिले में गांव कालापारु के पास	39.100 कि.मी.

(ख) छ : लेन का पूरा कर लिए जाने के पश्चात् :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान - विद्यमान (डिजाईन) चैनेज	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
आन्ध्र प्रदेश राज्य में पश्चिमी गोदावरी जिले में कालापारु गांव के पास 53.300 कि.मी. (नया चैनेज 1050.78)	48.990 कि.मी.
आन्ध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में वेदुरुपवल्लु गांव के पास विजयवाड़ा बाइपास का 35.00 कि.मी.	सड़क खण्ड के लिए शून्य बाइपास और संरचना के लिए नीचे टिप्पणी 2 और 3 देखें
आन्ध्र प्रदेश राज्य में गुन्टुर जिले में वेंकटपलम गांव के पास विजयवाड़ा बाइपास का 11.50 कि.मी.	सड़क खण्ड के लिए शून्य बाइपास और संरचना के लिए नीचे टिप्पणी 2 और 3 देखें

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु (बाइपास के पूरा हो जाने के बाद) आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान - विद्यमान (डिजाईन) चैनेज	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
53.300 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश राज्य में पश्चिमी गोदावरी जिले में कालापारु गांव के पास (नया चैनेज 1050.78)	6.720 कि.मी. का हनुमान जंक्शन बाइपास
आन्ध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में वेदुरुपवल्लु गांव के पास विजयवाड़ा बाइपास का 35.00 कि.मी.	28.68 कि.मी का विजयवाड़ा बाइपास
आन्ध्र प्रदेश राज्य में गुन्टुर जिले में वेंकटपलम गांव के पास विजयवाड़ा बाइपास का 11.50 कि.मी.	15.51 कि.मी का विजयवाड़ा बाइपास

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर (बाइपास / संरचनाओं के पूरा हो जाने के बाद) निम्नलिखित पुल (पुलों) / संरचना (संरचनाओं), के उपयोग हेतु ,जिनकी लागत नीचे निर्दिष्ट की गई है, निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा :

पथकर प्लाजा (प्लाजाओं) का स्थान (चैनेज)	पुल/ संरचना, की लम्बाई(कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)
आन्ध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में वेदुरुपुलुरु गांव के पास 35.00 कि.मी.	20.950 कि.मी. पर 0.550 कि.मी का आरओबी	66.25 करोड़ रुपए
आन्ध्र प्रदेश राज्य में गुन्टुर जिले में वेंकटपलम गांव के पास 11.50 कि.मी.	3.144 कि.मी का कृष्णा पुल	368.22 करोड़ रुपए

* विजयवाड़ा - चिलकारुपेट के 15.25 कि.मी. के सड़क खण्ड के अतिव्याप्ति के कारण इस प्लाजा पर शुल्क को कम कर दिया जाएगा।

4. जहां तक क्रमशः 50 करोड़ रुपए या अधिक अथवा 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले पुलों एवं बाइपासों का संबंध है, जैसा कि ऊपर टिप्पणी 2 और 3 में निर्दिष्ट किया गया है, उदग्रहीत शुल्क ऐसे बाइपासों एवं संरचनाओं के पूरा हो जाने के बाद ही शोध और संदेय होगा।

5. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के भीतर रहता हो उसके लिए वर्ष 2012- 13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

6. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे , अर्थात् :-

संदेय शुल्क	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की दिनांक से एक माह

7. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क मार्ग उपलब्ध न हो ।
8. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।
9. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
10. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
11. ऊपर सारणी 1 तथा 2 में यथा उल्लेखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक आधार पर संशोधन किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, कम-से-कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराप्र/13013/701/सीओ/12-13/जीसी-विजयवाड़ा(1022-1076) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2013

S.O. 402(E).—Whereas by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 660 (E) dated the 27th September, 1996, SO 78 (E), dated the 4th February, 1999 and SO 239 (E), dated the 24th March, 1998 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Km 3.400 - Km 75.000 (Vijayawada - Eluru section), Km 75.000 - Km 395.870 (Vijayawada - Visakhapatnam section) and Km 354.775 - Km 434.150 (Chilakaluripet - Vijayawada section) of National Highway Number -5 in the State of Andhra Pradesh, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with National Highways (Fees for the Use of National Highways Section and Permanent Bridge - Public Funded Project) Rules, 1997, National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997 and National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized the Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretch Vide S.O. No. 2170 (E) dated 12th September, 2012 for the stretch from km. 3.400 to km. 42.500 (new chainage from km 1100.694 to km 1061.594) and from km 42.500 to km 81.600 (new chainage from km 1061.594 to km 1022.494) on National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of section-14 of the National Highways Authority of India Act (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said Agreement) with M/s Vijayawada Gundugolanu Road Project Pvt. Ltd., having its registered office at 2nd Floor, Centric Plaza, Plot No. 8, Pocket 4, Sector 11, Dwarka, New Delhi - 110 075, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 24th January, 2012 for the development of six laning of Vijayawada - Gundugolanu Section from Km 27.600 - Km 81.600 (new chainage Km 1076.480 - Km 1022.480) including six lane Hanuman Junction bypass and four lane Vijayawada bypass taking off at Km 27.600 (new chainage Km 1076.480) and merging at Km 422.800 (new chainage Km 1112.044) of the National Highway number 5 and Operation and Maintenance thereof (hereinafter referred to as the "said section") in the state of Andhra Pradesh on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 and G.S.R. 756 (E) dated 12th October, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules"), and in supersession of the notification bearing No. S.O. 2170 (E) dated 12th September, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the

Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No. 2 for bridges/structures costing Rupees Fifty Crore or more and at one and half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE-2

Base rate of fee (rupees per vehicle per one way trip)						
Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (rupees in crores)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus (Two axles)	Three-axle Commercial Vehicles	HCM, EME or MAV (four to six axles)	Oversize d Vehicle (seven or more axles)
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees one hundred crores and upto rupees two hundred crores.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3
---	------	------	------	------	------	---

Notes:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

A. During Construction Period:

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length (in km) for which Fee is payable
Km 31.850 (new chainage Km 1072.230) near village Pottipadu in District Krishna in the State of Andhra Pradesh	39.100 Km
Km 53.300 (new chainage 1050.78 near village Kalaparru in District West Godavari	39.100 Km

B. After completion of six laning:

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length (in km) for which Fee is payable
Km 53.300 (new chainage 1050.78 near village Kalaparru in District West Godavari in the state of Andhra Pradesh	48.990 Kms
Km 35.00 of Vijayawada bypass near village Vedurupavuluru in District Krishna in the state of Andhra Pradesh	Nil for road section. For bypass and structure refer note 2 & 3 below.
Km 11.50 of Vijayawada bypass near village Venkatapalem in District Guntur * in the state of Andhra Pradesh	Nil for road section. For bypass and structure refer note 2 & 3 below.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following toll plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such toll plaza(s)(after completion of Bypass):

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional Fee is payable
Km 53.300 (new chainage 1050.78 near village Kalaparru in District West Godavari in the state of Andhra Pradesh	Hanuman Junction bypass of 6.720 Kms
Km 35.00 of Vijayawada bypass near village Vedurupavuluru in District Krishna in the state of Andhra Pradesh	Vijayawada bypass of 28.68Kms
Km 11.50 of Vijayawada bypass near village Venkatapalem in District Guntur * in the state of Andhra Pradesh	Vijayawada bypass of 15.51 Kms

3. In addition to above, following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s) (after completion of Bypass/Structure):

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length (in km) and Cost of bridge /structure (in Rupees Crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 35.00 near village Vedurupavuluru in District Krishna in the state of Andhra Pradesh	ROB at Km 20.590 of 0.550 Kms	Rs 66.25 Crores
Km 11.50 near village Venkatapalem in District Guntur* in the state of Andhra Pradesh	Krishna Bridge of 3.144 Kms	Rs 368.22 Crores

* Fee at this fee plaza shall be reduced for overlapping portion of Vijayawada – Chilakalurepet section for 15.25 Kms road section.

4. As regards bridges & bypasses costing Rs. Fifty crore or more and costing Rs. 10 crore or more respectively as specified in note 2 & 3 above, the fee levied shall be due and payable only after completion of such bypasses & structures.

5. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

7. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

8. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

9. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

10. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

11. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F.No. NHAI/13013/701/CO/12-13/GC-Vijayawada (1022-1076) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.